बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों के लिए

आवश्यक सूचना

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹1,00,000/–(एक लाख रूपये) मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. अभ्यर्थी के लिए अहर्त्ता एवं शर्तेः–

(i) बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

(ii) बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में होना चाहिए।

(iii) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण होना चाहिए।

(iv) किसी भी अभ्यर्थी को इस (संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा) योजना का लाभ एक ही बार देय होगा।

(v) पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

2. आवेदन की प्रक्रियाः–

(i) विभागीय बेवसाईट–**http://state.bihar.gov.in/scstwelfare/CitizenHome.html** पर निर्धारित तिथि 03.12.2021 तक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जाएँगे। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे एवं ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

(ii) निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित प्रति, जाति प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), स्वंय के नाम के Active बैंक खाता (जिसमें खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0 कोड स्पष्ट रूप से अंकित हों) या हस्ताक्षरित रद्द चेक की **Scanned** प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी आवश्यक होगी।

(iii) अभ्यर्थी के पास सक्रिय ई–मेल आई–डी होनी चाहिए।

(iv) ऑन–लाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करनी होंगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी।

(v) यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथिः–03.12.2021 तक है।

- आवेदन करने की प्रक्रिया एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट– http://state.bihar.gov.in/scstwelfare/CitizenHome.html पर देखी जा सकती है।
- विशेष जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष संख्या–0612–2215235 पर संपर्क किया जा सकता है।

01/11/21

सहायक निदेशक (मु0)।